

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./सी/67(27)/अध्या.संवि./पदां.का.मु./2017-18/ 1090

भोपाल, दिनांक 28.6.18

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)  
मध्यप्रदेश।

विषय :- हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में रिक्त अध्यापक (विषयमान), वरिष्ठ अध्यापक (विषयमान) एवं सहायक अध्यापक (लेब/पीटीआई/संगीत) के रिक्त पदों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने बाबत।  
:: 00 ::

अध्यापक (विषयमान), वरिष्ठ अध्यापक (विषयमान) एवं सहायक अध्यापक (लेब/पीटीआई/संगीत) के रिक्त पदों की जानकारी संचालनालय से जारी निम्नांकित पत्रों से जानकारी चाही गई थी :-

1. संचालनालय के पत्र क्र./शि.क./सी/67(27)/अनलॉक/प्राविमावि/2017-18/807-808, दिनांक 04.06.18 के द्वारा अध्यापक (विषयमान) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विषयमान) के रिक्त पदों की जानकारी इस पत्र के साथ जारी प्रपत्र में 03 दिवस में चाही गई थी, जो आपके जिले से अपेक्षित है।
2. संचालनालय के पत्र क्र./शि.क./सी/67(27)/अनलॉक/प्राविमावि/2017-18/807-808, दिनांक 04.06.18 के द्वारा सहायक अध्यापक (लेब/पीटीआई/संगीत) के रिक्त पदों की जानकारी इस पत्र के साथ जारी प्रपत्र में 03 दिवस में चाही गई थी, जो आपके जिले से अपेक्षित है।
3. संचालनालय के पत्र क्र./शि.क./सी/67(24)/अध्या.संवि./पदां.का.मु./2017-18/902-903, दिनांक 15.06.18 के द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में अन्तर्निकाय संविलियन की जारी अनुमति के संबंध में पदांकन एवं कार्य मुक्ति में कठिनाई की जानकारी इस पत्र के संलग्न प्रपत्र-एक एवं दो में चाही गई जानकारी अपेक्षित है।

उल्लेखित तीनों पत्रों (जिलों के ई-मेल पर उपलब्ध) की वांछित जानकारी अधिकांश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षित है। इस जानकारी के अभाव में संचालनालय स्तर पर अनेक कठिनाईयाँ आ रही है। इस संबंध में आयुक्त महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। यदि आपके जिले से संबंधित जानकारी पत्र जारी होने के दिनांक से दो दिवस में संचालनालय के शिक्षाकर्मि कक्ष के ई-मेल पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो दिनांक 02.07.18 को संचालनालय में वांछित जानकारी के साथ स्वयं उपस्थित हो।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

(एस.एस.एच. रिजवी)

संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28.6.18

पृष्ठां.क्र./ शि.क./सी/67(27)/अध्या.संवि./पदां.का.मु./2017-18/ 1091  
प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश